माननीय प्रतिलिपि आदेश
नम्बर मुकदमा 104/23 व मुकदमा ओमप्रकाश
नाम न्यायालय ADJ-02
पत्री/निर्णय तारीख 3/3/25

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–2, बीकानेर

प्रति-हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी
प्रतिलिपि विभाग जिला एवं सेशन न्यायालय
बीकानेर दिनांक 7/4/25

पीठासीन अधिकारी :: **लोकेन्द्र सिंह शेखावत,**
आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निगरानी फौजदारी संख्या :: 22/2023
सी.आई.एस. संख्या :: 104/2023

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए लोक अभियोजक, बीकानेर।

–निगरानीकर्ता–

:: बनाम ::

ओमप्रकाश राठी पुत्र भैंरूदान राठी, निवासी उतरादा बास, नोखा, जिला बीकानेर।

–गैरनिगरानीकर्ता

आपराधिक निगरानी याचिका अंतर्गत धारा–397 दण्ड प्रक्रिया संहिता विरूद्ध (धारा–438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) आदेश दिनांक 01.04.2023 जो श्री जितेन्द्र रैया, आर.जे.एस., विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 3, बीकानेर द्वारा फौ.प्र.सं. 295/2002 अनवान सरकार बनाम ओमप्रकाश में पारित किया गया, को निरस्त करने बाबत्।

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग जिला एवं सेशन न्यायालय
बीकानेर

उपस्थित:–
1. श्री संदीप स्वामी, विद्वान् अपर लोक अभियोजक निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री विनायक चितलंगी, विद्वान् अधिवक्ता गैर–निगरानीकर्ता की ओर से।

:: आदेश ::

दिनांक: 03.04.2025

1. यह आपराधिक निगरानी याचिका निगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 23.06.2023 को श्रीमान् सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो निस्तारणार्थ अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. यह आपराधिक निगरानी विद्वान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं.3, बीकानेर द्वारा फौ.प्र.सं. 295/2002 अनवान सरकार बनाम ओमप्रकाश में पारित आदेश जिसके द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश को धारा–7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अपराध से उन्मोचित घोषित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी।

3. निगरानीकर्त्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.07.2002 को समय 01.00 बजे परिवादी दयानंद शर्मा, खाद्य निरीक्षक फर्म ओमप्रकाश मिष्ठान भण्डार, सदर बाजार, नोखा पर स्थित है, पर गया तथा दुकान पर ओमप्रकाश पुत्र भैरूदान राठी जनता में खाद्य पदार्थ बिक्री करते हुए पाया गया। उसने अपना परिचय दिया व खाद्य अनुज्ञा पत्र की जानकारी की तो मौके पर नहीं पाया गया। खाद्य पदार्थ के निरीक्षण के बाद भुजिया (पोली पैक) देखने पर मिलावट होने की शंका हुई तुरंत फार्म नं. 6 भरा एवं विक्रेता से एक गवाह बुलाने बाबत् कहा गया। विक्रेता द्वारा सतु पुत्र अणताराम भार्गव कांकरिया चौक नोखा को बुलाया गया। फार्म नं.

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न. 2
बीकानेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Singh
03.04.2025
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न. 2
बीकानेर (राजस्थान)

6 पर विक्रेता गवाह के हस्ताक्षर करवाए गए व उसने किए। भागीदारों के बारे में जानकारी करने पर विक्रेता ने कोई भागीदारी नहीं होना बताया व साथ ही विक्रेता से भुजिया क्रय बिल वारण्टी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 14 ए के तहत चाही गयी विक्रेता ने बताया कि वह स्वयं निर्माता है। फार्म नं. 6 की एक प्रति देय प्राप्ति रसीद ली। भुजिया पैकेट 500 ग्राम जो करीब 15 किलोग्राम के थे (पोली पैक) 500 ग्राम के 3 पैकेट लिए, लेबिल बनाए गए व जिस पर विक्रेता गवाह के हस्ताक्षर करवाए गए व उसने किए। प्रत्येक (पोली पैक) भुजिया का एक-एक लेबिल गोंद से चिपकाया गया व मोटे कागज से लपेट कर गोंद से चिपकाया एवं पेपर स्लिप संख्या जे-1429 ली, जिस पर एल(एच)ए बीकानेर के हस्ताक्षर थे। प्रत्येक नमूना पैकेट पर गोंद से चिपकाया गया एवं मजबूत डोरे से बांधकर चपड़ी द्वारा चार सील की गयी। विक्रेता गवाह के हस्ताक्षर पेपर स्लिप को क्रॉस करते हुए करवाए गए व उसने किए। मौका फर्म मुआयना रिपोर्ट तैयार की गयी। जिसे पढ़कर पढ़ाकर, समझाकर विक्रेता गवाह के हस्ताक्षर करवाए गए व उसने किए। तीनों नमूनों को अपने कब्जे में लिया और कार्यालय में आया, आदि।

4. निगरानी प्रार्थना पत्र में निगरानीकर्ता ने निगरानी के आधार बताते हुए यह अभिवचन किया कि माननीय विचारण न्यायालय का उक्त आदेश विधिसम्मत् नहीं है। माननीय न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। क्योंकि इस प्रकरण में मुलजिम के विरूद्ध विचारण न्यायालय ने अपना कोई आदेश व निर्णय गुणावगुण पर नहीं किया है। प्रकरण से संबंधित गवाह मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है। एक गवाह सत्यनारायण न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा परिवादी दयानन्द शर्मा तथा आर.के. रायसिंघानी तथा आरती शाह के उपस्थित नहीं आने पर प्रकरण में प्रिचार्ज साक्ष्य नहीं ली गयी एवं मुलजिम को उन्मोचित किया गया, जो न्यायोचित नहीं है। दिनांक 10.02.2023 को न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी किया गया, जो अदम तामील लौटे तथा पूर्ण पते के साथ न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी नहीं किए गए। अभियोजन द्वारा न्यायालय में पुलिस द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर नया पता प्राप्त कर पेश किए गए थे। दिनांक 11.10.2021 को वारण्ट में रिपोर्ट आयी कि वर्तमान पते से स्थानांतरण हो गया है तथा गवाह तीन माह के लिए दुबई गया हुआ है। साक्ष्य के तौर पर हवाई टिकट पेश किए गए तत्पश्चात् न्यायालय का पद रिक्त रहा। दिनांक 10.02.2023 की दस्ती अभियोजन को दी गयी। अभियोजन द्वारा तहरीर जारी की गयी, परंतु नए पते पर न्यायालय द्वारा गवाहान पर तामील वास्ते कोई प्रयास नहीं किए गए, केवल पुलिस अधीक्षक बीकानेर मेडिकल एवं हैल्थ डिपार्टमेंट को डी.ओ. लेटर जारी कर इतिश्री की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा गवाहान के वर्तमान एवं स्थाई निवास (जो कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए थे) पते पर सम्मन एवं वारण्ट जारी नहीं किए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के अनुसार न्यायोचित नहीं है। न्यायिक दृष्टांत शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य सीआरएलजे 568 एस.सी. के अनुसार अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु अंतिम अवसर नहीं दे सकते, न्यायालय अभियोजन साक्ष्य समाप्त नहीं किया जा सकता। साक्षी को पुनः तलब करना और जो आवश्यक साक्षी हो, जो प्रकरण के उचित निराकरण के लिए आवश्यक है, उसे साक्ष्य हेतु आहूत करने का दायित्व न्यायालय का ही है। न्यायालय को मूकदर्शक की भांति नहीं बैठना चाहिए। अंत में विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 01.04.2023 को निरस्त/अपास्त फरमाए जाने एवं पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु तथा अभियुक्त पर धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण

Singh
03.04.2025
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 2
बीकानेर (राजस्थान)

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग जिला एवं सेशन न्यायालय
बीकानेर

निवारण अधिनियम, 1954 के आरोप विरचित किए जाने हेतु रिमाण्ड (प्रतिप्रेषित) करने का आदेश प्रदान करने बाबत् निवेदन किया।

5. दौराने बहस निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने हस्तगत निगरानी याचिका में विद्वान् विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 01.04.2023 को चुनौती देते हुए कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 01.04.2023 विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निवेदन किया कि माननीय विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित कर कानूनी भूल की है, क्योंकि इस प्रकरण में मुलजिम के विरूद्ध विचारण न्यायालय ने अपना कोई आदेश व निर्णय गुणावगुण पर नहीं किया है। प्रकरण से संबंधित गवाह मांगीलाल की मृत्यु हो चुकी है। एक गवाह सत्यनारायण न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा परिवादी दयानन्द शर्मा तथा आर.के. रायसिंघानी तथा आरती शाह के उपस्थित नहीं आने पर प्रकरण में प्रिचार्ज साक्ष्य नहीं ली गयी एवं मुलजिम को उन्मोचित किया गया। दिनांक 10.02.2023 को न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी किया गया, जो अदम तामील लौटे तथा पूर्ण पते के साथ न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी नहीं किए गए। अभियोजन द्वारा न्यायालय में पुलिस द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर नया पता प्राप्त कर पेश किए गए थे। दिनांक 11.10.2021 को वारण्ट में रिपोर्ट आयी कि वर्तमान पते से स्थानांतरण हो गया है तथा गवाह तीन माह के लिए दुबई गया हुआ है। साक्ष्य के तौर पर हवाई टिकट पेश किए गए तत्पश्चात् न्यायालय का पद रिक्त रहा। दिनांक 10.02.2023 की दस्ती अभियोजन को दी गयी। अभियोजन द्वारा तहरीर जारी की गयी, परंतु नए पते पर न्यायालय द्वारा गवाहान पर तामील वास्ते कोई प्रयास नहीं किए गए। न्यायिक दृष्टांत शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य सीआरएलजे 568 एस.सी. के अनुसार अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु अंतिम अवसर नहीं दे सकते, न्यायालय अभियोजन साक्ष्य समाप्त नहीं किया जा सकता। साक्षी को पुनः तलब करना और जो आवश्यक साक्षी हो, जो प्रकरण के उचित निराकरण के लिए आवश्यक है, उसे साक्ष्य हेतु आहूत करने का दायित्व न्यायालय का ही है। अंत में विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 01.04.2023 को निरस्त/अपास्त फरमाए जाने एवं पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु तथा अभियुक्त पर धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के आरोप विरचित किए जाने हेतु रिमाण्ड (प्रतिप्रेषित) करने का आदेश प्रदान करने बाबत् निवेदन किया।

6. विद्वान् अधिवक्ता गैर–निगरानीकर्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.04.2023 विधिसम्मत् है तथा उसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अंत में निवेदन किया कि निगरानीकर्ता की निगरानी बिना किसी आधार के प्रस्तुत की गयी है, इसलिए निगरानी खारिज की जावे। विद्वान् अधिवक्ता गैर–निगरानीकर्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किएः–

[1.] माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत "ASIM AKHTAR VS. THE STATE OF WEST BENGAL & ANR., 2024 INSC 794"

7. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया जाकर उससे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार

Singh
03.04.2025
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 2
बीकानेर (राजस्थान)

8. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01.04.2023 का अवलोकन किया जावे तो विद्वान् विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते हुए उसमें यह मत विवेचित किया है कि न्यायालय के मत में अभियोजन आरोप विरचित करने के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक साक्ष्यों को भी न्यायालय के समक्ष रखने में असफल रहा है। अतः ऐसी सूरत में अभियुक्त को धारा 7/16 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत लिए गए प्रसंज्ञान अपराधों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह न्यायालय पाता है कि हस्तगत प्रकरण में विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.10.2002 को परिवादी खाद्य निरीक्षक, जिला बीकानेर द्वारा एक परिवाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर गैर-निगरानीकर्ता/अभियुक्त को तलब किया गया। जिस पर प्रकरण में दिनांक 24.03.2005 को गैर-निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया व प्रकरण प्रीचार्ज साक्ष्य में नियत किया गया तथा उसके बाद प्रकरण लगातार तारीख पेशियों पर प्रीचार्ज साक्ष्य हेतु लंबित रहा। प्रकरण में दिनांक 06.11.2013 को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम से संबंधित होकर भुजिया की मिलावट से संबंधित होने व जिसके अंतिम निस्तारण के समय छः माह से अधिक तक की सजा दी जा सकने तथा सम्मन विचारण एक पीठासीन अधिकारी के कार्यकाल में निस्तारण संभव नहीं होने से, सम्मन विचारण को वारण्ट विचारण में तब्दील किया गया व गवाहान को तलब किए जाने का आदेश दिया गया। इसके बाद प्रकरण पुनः प्रीचार्ज साक्ष्य हेतु लंबित रहा एवं प्रकरण में दिनांक 15.03.2017 को प्रीचार्ज साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 सत्यनारायण के बयान लेखबद्ध किए गए। इसके उपरांत पुनः प्रकरण विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष विभिन्न तारीख पेशियों पर प्रीचार्ज साक्ष्य के प्रक्रम पर लंबित रहा। तत्पश्चात् दिनांक 22.02.2023 को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रीचार्ज साक्ष्य का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते उचित आदेश बाबत् उन्मोचन/आरोप हेतु नियत की गयी और दिनांक 01.04.2023 को आक्षेपित आदेश पारित कर गैरनिगरानीकर्ता/अभियुक्त ओमप्रकाश को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7/16 के तहत लिए गए प्रसंज्ञान अपराधों से उन्मोचित किया गया। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में परिवाद प्रस्तुत होने व अभियुक्त के उपस्थित आने के बाद प्रकरण दिनांक 24.03.2005 को प्रीचार्ज साक्ष्य में नियत किया गया व उसके उपरांत प्रकरण में दिनांक 06.11.2013 को सम्मन विचारण को वारण्ट विचारण में तब्दील करने का आदेश दिया गया व पत्रावली पुनः प्रीचार्ज साक्ष्य में नियत की गयी तथा प्रीचार्ज साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 सत्यनारायण परीक्षित हुआ और प्रकरण में दिनांक 24.11.2016 को गवाह मांगीलाल की तलबी बंद की गयी। इसके अलावा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अभियोजन को विभागीय स्तर पर भी गवाह को प्रस्तुत करने की हिदायत दी गयी थी व प्रकरण में प्रीचार्ज साक्ष्य में गवाह की उपस्थिति हेतु पुलिस अधीक्षक, बीकानेर, मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट बीकानेर को भी डी.ओ. लेटर भी जारी किए गए तथा प्रकरण में गवाहान की तलबी बंद कर अभियोजन को अपने स्तर पर भी गवाह प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिए गए थे। इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.03.2005 से प्रीचार्ज साक्ष्य का अवसर बंद किए जाने की तारीख 22.02.2023 तक अर्थात् 19 वर्ष का

Singh
03.04.2025
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 2
बीकानेर (राजस्थान)

समय प्रीचार्ज साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रदत्त किया गया, जो कि इस न्यायालय के विनम्र मत में पर्याप्त से भी अधिक है। परंतु इसके बावजूद अभियोजन की ओर से किसी भी गवाह को प्रस्तुत कर विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है और प्रकरण में परीक्षित एकमात्र गवाह पी.ड.1 सत्यनारायण दौराने साक्ष्य पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 01.04.2023 को पारित कर पत्रावली में अभियोजन द्वारा आरोप विरचित करने के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण गैर–निगरानीकर्ता/ अभियुक्त ओमप्रकाश को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7/16 के तहत लिए गए प्रसंज्ञान अपराधों से उन्मोचित किया गया है, जो कि इस न्यायालय के विनम्र मत में उचित है।

9. अतः इस न्यायालय के विनम्र मत में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 01.04.2023 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध अथवा अवैधानिक प्रतीत नहीं होता है तथा उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यक्ता नहीं है। निगरानीकर्ता की निगरानी में कोई बल नहीं है। अतः निगरानीकर्त्ता की उक्त निगरानी याचिका सारहीन व बलहीन होने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य है।

:: आदेश ::

10. परिणामतः निगरानीकर्त्ता की ओर से प्रस्तुत हस्तगत **निगरानी** याचिका **अस्वीकार** की जाकर **खारिज** की जाती है एवं विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित **आक्षेपित आदेश** दिनांक 01.04.2023 **सम्पुष्ट** किया जाता है। आदेश की प्रति विद्वान् विचारण न्यायालय को अविलम्ब भेजी जावे।

Singh
03.04.2025

(लोकेन्द्र सिंह शेखावत)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न. 2
बीकानेर (राजस्थान)

11. आदेश आज दिनांक **03.04.2025** को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

Singh
03.04.2025

(लोकेन्द्र सिंह शेखावत)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न. 2
बीकानेर (राजस्थान)

प्रमाणित प्रतिलिपि